न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 49/2018

वादी
वीराराम

बनाम

प्रतिवादी
श्रीमती शकुन्तला

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 व 188 आर.टी.एकट 1955
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत

उपस्थित :–
1– श्री सुरेश कुमार शाह वकील प्रतिवादी (प्रार्थी)
2– श्री कलीम अव्वल वकील वादी (अप्रार्थी)

आदेश

दिनांक: 9–12–2019

वकील प्रतिवादीया ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत विरूद्व वादी इस न्यायालय मे दिनांक 26–12–2018 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व धारा 88,188 आर.टी.एक्ट के तहत एक राजस्व वाद श्रीमान के न्यायालय मे पेश किया है। प्रतिवादीया एवं प्रार्थीया का गांव जावाल पटवार हल्का जावाल तहसील सिरोही के खसरा संख्या 1964/945 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कृषि भूमि आयी हुई जो प्रतिवादीयॉ प्रार्थीया ने नरींगाराम पुत्र पनाजी जाति मेगवाल निवासी लुणावा से खाता संख्या 377 खसरा नंबर 1964/945 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कृषि भूमि मे से सम्पूर्ण आधा हिस्सा मोल कीमतन खरीद कर उसकी रजिस्ट्री दिनांक 23–6–2010 को उप पंजियक कार्यालय शिवगंज मे रजिस्टर्ड करवायी थी और कब्जा प्राप्त किया था एवं इसी तरह फुलाराम पुत्र तेजारामजी जाति मेगवाल निवासी पालडी जोड से अब प्रतिवादीया ने खाता संख्या 377 खसरा नंबर 1964/945 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कृषि भूमि मे से सम्पूर्ण आधा हिस्सा जरिये जरिये मोल किमततन दिनांक 14–6–2010 को उप पंजीयक कार्यालय शिवगंज मे रजिस्टर्ड करवायी थी एवं कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार ग्राम जावाल के खसरा नंबर 1964/945 रकबा 0.28 हैक्टेयर कृषि भूमि पर सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादीयॉ (प्रार्थीया) का मौके पर व उसके पश्चात उक्त रजिस्ट्री के आधार पर मुटेशन भी प्रतिवादीयॉ के पक्ष मे दर्ज हो चुका है। वास्ते सबूत जमाबंदी की प्रमाणित प्रति व बेचान लिखतों की फोटो कोपी संलग्न है। इस प्रकार उक्त विवादित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर प्रतिवादीयॉ का कब्जा रहा है। उपरोक्त वादग्रस्त खसरा नंबर की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा पडौसी काश्तकार चमना पुत्र उकाजी व उसके पुत्र आशाराम पुत्र चमनाजी जाति मेगवाल निवासी जावाल द्वारा कब्जा किये जाने पर दिनांक 3–1–2014 को अप्रार्थीया ने उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्व धारा 183 आर.टी.एकट के तहत श्रीमान की न्यायालय मे प्रस्तुत किया था और उसका फैसला प्रतिवादीयॉ शकुन्तला देवी के पक्ष मे दिनांक 30–4–2015 के हुआ था जिसके राजस्व मुकदमा संख्या 12/2014 है। वास्ते सबूत हेतु श्रीमान के न्यायालय की फैसले की प्रमाणित प्रति व डिक्री की प्रमाणित प्रति संलग्न है। अप्रार्थीया ने चमनाराम व आशाराम के विरूद्व एक फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया था जो न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही मे उनके विरूद्व चला था और मुकदमे के दौरान चमनाराम की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात आशाराम ने अपनी स्वेच्छा से जमीन का कब्जा अप्रार्थीया को दिनांक 11–2–2017 को सुपुर्द कर दिया था और लोक अदालत की भावना से आपस मे धारा 447/34 आई.पी.सी. मे राजीनामा कद मुकदमे की कार्यवाही खारीज करवाया था जिसके फौजदारी प्रकरण संख्या 487/2011 है और उक्त मुकदमा लोक अदालत के दिन निश्चित तारीख 15–2–2017 को उक्त कार्यवाही फैसल की गई थी वास्ते सबूत हेतू फौजरी केस की

सहायक कलेक्टर

लगातार पेज नं. 2

ओर्डरशीट,आदेश,व राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ इस के साथ संलग्न है। प्रतिवादिया के द्वारा बेदखली का दावा करने के पश्चात व इसका फैसला प्रतिवादीया के पक्ष में होने पर अपीलांट चमना ने राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली केम्प सिरोहीमें अपील अन्तर्गत धारा 23 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत की थी जिसके अपील संख्या 8/2015 है। उक्त केस में बहस होने के पश्चात उक्त मुकदमा निचली अदालत एसडीओ कोर्ट सिरोही में रिमाण्ड किया था जिस पर पुनः श्रीमान के न्यायालय में दर्ज किया गया। वादी के भाई आशाराम द्वारा फौजदारी प्रकरण मे जमीन का कब्जा राजीखुशि से सुपुर्द कर दिये जाने से व आपस मे राजीनामा कर दिये जाने से उक्त रिमांड शुदा केस मे प्रतिवादीयॉ द्वारा नोटप्रेस कर कार्यवाही खारीज की गई सबूत निर्णय की ओर्डरशीट दिनांक 13–11–2017 को लिखी गई थी संलग्न है। इस प्रकार प्रतिवादीयॉ प्रार्थीया ने न तो चमनाजी से जमीन पैसे लेकर खरीदने की बात कही है और न ही कभी भी उक्त जमीन पर चमनाजी अथवा उनके वारिसदार का कभी कोई कब्जा रहा है। वर्तमान मे मौके पर तारबंदी वादग्रस्त कृषि भूमि पर की हुई है तथा जे.सी.बी. से समतलीकरण भी मौके पर किया हुआ है जो प्रतिवादीयॉ ने करवाया है एवं मौके पर जमीन खाली पडी हुई है तथा उस पर किसी प्रकार की कोई फसल नही है एवं कब्जा शान्तिपूर्वक प्रतिवादीयाू का चला आ रहा है एवं कब्जे बाबत फोटो ग्राफस साथ मे संलग्न है। वादी चमनाजी का लडका है एवं आशाराम का सगा भाई है जो लोगो की सिखावट मे आकर येनकेन प्रकारेण से हैरान व परेशान कर प्रतिवादीयॉ महिला से रकम हडपना चाहता है उक्त कारण की वजह से वादी वीराराम ने प्रतिवादीगण के खिलाफ धारा 88,188 व 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो विधिक रूप से कानूनन मेण्टेनेबल नही होने से काबिल खारीज है। अतः प्रार्थीया (प्रतिवादीयॉ) का निवेदन है कि प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकारफरमाया जाकर विचाराधीन यह राजस्व वाद संख्या 49/2018 खारीज फरमावें व गलत रूप से हैरान व परेशान करने से बतौर मुआवजा रूपये 25000 दिलाना फरमावें। दिनांक 26–12–2018 को न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की प्रति वकील वादी को उपलब्ध करवाई गई ।

विचाराधीन इस प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 27–5–2019 को वकील वादी ने उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।वकील वादी (अप्रार्थी) ने अपने उक्त जवाब प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का कथन पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार है। गांव जावाल पटवार हल्का जावाल तहसील सिरोही के खसरा संख्या 1964/945 के पुराना खसरा नंबर 711 भी है, उपरोक्त भूमि पर वादी का पुश्तैनी कब्जा काश्त रहा है, परन्तु रेकर्ड मे नरींगाराम व फुलाराम गलत खातेदारी दर्ज थी,जिसके बाद कब्जे के आधार पर उन्होने वादी व उसके पिता के नाम उपरोक्त भूमि विकय विलेख निष्पादित कर रेकर्ड मे भी कब्जानुसार वादी व उसके पिता का नाम दर्ज करवाने हेतु राजी हुये ,वादी व उसके पिता अनपढ होने के कारण वादी के चचेरे भाई प्रतिवादी संख्या 1 के पति तगाराम को वादी के पिता ने कागजी कार्यवाही करने का कहा,एवं प्रतिवादीयाू संख्या 1 के पति तगाराम द्वारा इस बाबत गवाहान के समक्ष लिखकर भी दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पति तगाराम की नियत मे फितुर आ जाने से उन्होने आपस मे मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर वादी व उसके पिता चमनाजी के साथ धोखाघडी कर प्रतिवादी के नाम उनसे पंजियन करवाकर रेकर्ड मे इन्द्राजात करवा दिया। हकीकत मे प्रतिवादीया द्वारा नरींगाराम व फुलाराम को न तो कोई प्रतिफल राशि अदा की है,तथा न ही उनसे उक्त भूमि खरीद की है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा खसरा संख्या 1964/945 की जमीन नरींगाराम पुत्र पनाजी मेघवाल निवासी लुणावा एवं फुलाराम पुत्र तेजाराम मेघवाल निवासी पालडी जोड से गलत रूप से केवल मात्र दस्तावेजी पंजियन करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पति तगाराम के राजस्व विभाग मे पटवारी होने से स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर रेकर्ड मे इन्द्राजात करवाया है जो कि एक फिस्कल इन्द्राज हैएवं जिससे प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार पैदा नही होते है। वादग्रस्त भूमि पर——— लगातार पेज नं. 3

सहायक कलेक्टर

प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का कथन इस हद तक स्वीकार है कि वादी के पिता श्री चमनाराम द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली केम्प सिरोही मे अपील प्रस्तुत की गई एवं वादी के पिता चमनारामजी की उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर उक्त प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु श्रीमान के न्यायालय मे रिमाण्ड किया था जहॉ से वह वाद बिना निस्तारण के विड्रो किया गया । प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रार्थरापत्र मे तथ्यों को छुपाकर माननीय न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। तथा न्यायालय मे स्वच्छ हाथों से नही आ रही है वादी के पिता चमनाजी तथा आशाराम द्वारा भी कब्जा करने के कथन पूर्णतः गलत है। वस्तुतः वादी का भाई आशाराम शराबी व्यक्ति है जिसका कब्जा नही होकर वादी के पिता चमनाराम एवं वादी का वादग्रस्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा काश्त रहा है। आशाराम का इस भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा आशाराम से मेल मिलाप कर वादी के पिता की मृत्यु के बाद आशाराम को शराब पिलाकर कब्जा प्राप्ति का लिखा है,जबकि मौके पर चमनारामजी के बाद आज भी वादी का कब्जा काश्त है। वादी ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र मे आगे यह भी उल्लेख किया हे कि वादी द्वारा किसी की सिखावट मे आने तथा उसके पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि के बदले प्रतिवादीयॉ से रकम हडपने एवं उक्त तथाकथित कारण से उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने तथा जिसके कोई विधिक हासिल नही होने के कथन पूर्णतः कपोल कल्पित एवं हास्यप्रद है। वादी ने अपने उक्त जवाब प्रार्थनापत्र के विशेष कथन के माध्यम से यहभी निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थनापत्र आदेश 7 निनयम 11 सीपीसी के अवलम्बो की परिभाषा मे नही आता है जिससे प्रथम दृष्टया काबिले खारीज है तथा प्रार्थनापत्र के संलग्न प्रतिवादीया का शपथ पत्र विधि मे शपथपत्र की परिभाषा मे नही आता है जिससे उपरोक्त प्रार्थनापत्र विधिनुसार शपथपत्र से समर्थित नही होने एवं विधिक शपथपत्र के अभाव मे प्रतिवादीयॉ संख्या 1का उक्त प्रार्थनापत्र काबिल खारीज है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा खारिज करना फरमावें ।

दिनांक 18–10–2019 को इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण मे वकील अप्रार्थीया द्वारा दिनांक 26–12–2018 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वकील उभय पक्षकारान द्वारा इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने वकील अप्रार्थीयॉ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब के साथ साथ मय विचारण इस प्रकरण की मूल राजस्व वाद संख्या 49/2018 अ.धा. 88 ,188 आर.टी.एक्ट अनवान वीराराम बनाम श्कुन्तला देवी की सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात प्रतियों का भी समान्तरण रूप से गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा उक्त प्रार्थनापत्र पर वकील उभय पक्षकारान की बहस पर भी गंभीरता पूर्वक मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थिया व प्रतिवादीया श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी तगाराम द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्ट्री खरीदी जाकर विधिवत नामान्तकरण की कार्यवाही की जाकर वर्तमान में जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 741 मौजा जावाल के वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1964/945 रकबा 0.2800 हैक्टेयर की रिकार्डेड खातेदार कृष्क है। इस न्यायालय के ही निर्णीत प्रकरण संख्या 12/2014 में निर्णय दिनांक 30.4.2015 के द्वारा प्रस्तुत वाद में वादिया को कब्जा सुपुर्दगी का आदेश व डिक्री पारित की गई। जिसकी माननीय अपीलांट कोर्ट राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा पुनः निर्णय को अपास्त कर रिमाण्ड किया। पत्रावली पुनः इस न्यायालय में दर्ज हुई जिसमें माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही न्यायालय में फौजदारी प्रकरण संख्या 487/2011 मे जरिये राजीनामा लोक अदालत मे दिनांक 15–2–2017 को फैसल के आधार पर कब्जा प्राप्ति होने से वादिया द्वारा नोट प्रेस करने से वाद का दिनांक 13.11.2017 को निस्तारण किया गया। इस प्रकार विचारण प्रकरण मे प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार कृष्क होने से एवं कब्जा प्राप्ति पूर्व में रिकार्ड पर होने से प्रथम दृष्टयॉ मामला प्रार्थीया के पक्ष मे जाहिर होता है तथा प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का

सहायक कलेक्टर

खातेदार कृषक भी नही है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया फुल बैंच शीर्षक चोटनबैन अपीलाण्ट बनाम किरीटभाई रेस्पोडेण्ट निर्णय दिनांक 10–4–2018 तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया शीर्षक भाउराम अपीलाण्ट बनाम जनकसिह रेस्पोडेण्ट डिवीजन बैंक निर्णय दिनांक 20–7–2012 इस विचाराधीन प्रकरण में लागु नही होती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर अप्रार्थीयॉ की ओर से जरिये वकील प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 49/2018 अ.धा. 88,188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत अनवान वीराराम बनाम शकुन्तलादेवी का खारीज योग्य होने से खारीज किया जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.21 12:27:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: